न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—301/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/301)

1. रामरतन पुत्र श्री नारायण, आयु 68 वर्ष, जाति—बलाई, निवासी—ग्राम धोलपुरिया, तहसील—अंराई, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गणेश पुत्र उगमा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 08.11.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई राजस्व वाद संख्या 56/2022

उपस्थितः—

1. श्री कुशकुमार सिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः—09.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसकी माता सायर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई जिसमें अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार अंराई को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किए गए जिसके अनुक्रम में अपीलांट ने दिनांक 6.6.2024 को पटवारी हल्का कालानाडा को अपनी लिखित आपत्ति दी। जिसके पश्चात सुनवाई के दौरान अपीलांट को जानकारी हुई की प्रार्थीया सायर जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की माता है ने अपना हिस्से का अंतरण कर दिया है तो अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष प्रस्तत किया जिसका जवाब रेस्पोडेंट संख्या 1 को देने हेतु दिनांक 6.12.2024 नियत थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नियत दिनांक से पूर्व दिनांक 8.11.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में बताया कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु दिनांक 6.12.2024 नियत कर रखी है तो नियत तिथी से पूर्व बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए था जिसके कारण अपीलांट अपनी पैरवी नहीं कर सका। अपीलांट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जो आपत्तियां उठाई गई है एवं दिनांक 6.6.2024 को पटवारी कालानाडा को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनकी सुनवाई व निराकरण किए बगैर ही निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट के द्वारा अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उन आधारों पर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर निर्णय पारित किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई रिपोर्ट मंगवाए बगैर पूर्व में प्रस्तुत शून्य रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। मौका रिपोर्ट क्रमांक 3211 दिनांक 7.6.2024 में दो रास्ते होना प्रस्तावित किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने दूसरे रास्ते पर किसी प्रकार का कोई विचारण किए बिना ही निर्णय पारित कर दिया। जिस आराजी के लिए रास्ते की मांग की गई उसमें एक से अधिक खातेदार है और दूसरे खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए बगैर ही निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण में खातेदार चौथू को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था क्योंकि वह आवश्यक पक्षकार था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 की माता सायर का नाम तो प्रत्याहराण कर दिया परंतु वर्तमान खातेदार का नाम प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाए बगैर ही निर्णय पारित कर दिया इसलिए आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण ऐसा निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अपने निर्णय में रास्ते के बदले जमीन दिए जाने का निर्णय पारित किया है जबकि जिस जमीन को अपीलांट को बतौर क्षतिपूर्ति निर्णय में दी गई है, उसमें दूसरे खातेदार की कोई सहमति नहीं होने से ऐसे निर्णय की पालना करना असंभव है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 729/2 रकबा 1.4967 हैक्टेयर स्थित है प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने एवं अन्य कृषि कार्य आवागमन के लिये खसरा संख्या 729/2 में से ही आते जाते है किन्तु खसरा संख्या 729/2 में रास्ता रिकार्डेड नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बाधा कारित करतें हैं। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 728/2 में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 729/2 में से 30 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 729/2 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 7.7.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 8.7.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र ने उपस्थित होकर न्यायालय को बताया कि अप्रार्थी बाहर गया है, आगामी पेशी तक समय दिया जावे। दिनांक 25.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 7.6.2023 को राज्य सरकार व राजस्व मण्डल के आदेशानुसार पत्रावली कोर्ट केम्प कालानाडा में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थि है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार अंराई को मौका रिपोर्ट व रास्ता जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 4.8.2023 को तहसीलदार अंराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जा चुकी है जो शामिल मिसल की गई। दिनांक 18.8.2023 को अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट निरस्त करवाने बाबत पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 29.9.2023 को वकील प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी तथा जवाब प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट निरस्त हेतु पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 13.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट निरस्त करने बाबत को स्वीकार किया गया व पुनः तहसीलदार अंराई को तहरीर जारी की गई। दिनांक 2.2.2024 को तहसीलदार अंराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। दिनांक 5.4.2024 को अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट निरस्त फरमाई जाने बाबत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार अंराई को तहरीर जारी की गई। दिनांक 7.6.2024 को तहसीलदार अंराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गई। दिनांक 21.6.2024 को अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। दिनांक 5.7.2024 को अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। दिनांक 26.7.2024 को अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। दिनांक 8.11.2024 को प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थन पत्र दिनांक 7.11.2024 को वास्ते पत्रावली नियत तिथि से पूर्व तलब कर सुनवाई करने बाबत पेश करने से व न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया गया।

वर्तमान प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी आराजीयात खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 728/2 रकबा 0.7281 में रास्ते बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रार्थी की आराजीयात खसरा संख्या 729/2 रकबा 1.4967 है0 से रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 7.7.2022 को अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। परंतु रामरतन के पुत्र सीताराम द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बताया गया कि पिताजी बाहर गए हुए है अतः अगली तारीख पेशी नियत की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कालानाडा में उपस्थिति बाबत भी दिनांक 2.6.2023 को नोटिस जारी किए गए। इसी क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 19.6.2023 जो कि पटवारी हल्का व आईएलआर द्वारा विधिवत तरीके से तैयार की गई थी परंतु वर्तमान अपीलांट द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति का विधिवत रूप से निस्तारण करते हुए तहसीलदार अंराई को पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने बाबत निर्देश दिए गए। पटवारी हल्का व आईएलआर कालानाडा द्वारा दिनांक 14.12.2023 को मौका रिपोर्ट पुनः तैयार की गई। जिस पर रेस्पोडेंट/प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए तथा अपीलांट/अप्रार्थी ने नोटिस प्राप्त किया परंतु हस्ताक्षर करने से मना किया। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.4.2024 को उक्त मौका रिपोर्ट निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई व अपीलांट/अप्रार्थी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आपत्ति का पुनः विधिवत रूप से निस्तारण किया गया। पटवारी हल्का व आईएलआर द्वारा पुनः मौके पर पहुंच कर विधिवत रूप से दिनांक 6.6.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.5.2024 को उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किए गए। इन सभी तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांट को विधिवत रूप से प्रत्येक कार्यवाही के नोटिस तामील करवाए गए है व उनके द्वारा की गई आपत्तियों का भी विधिवत रूप से निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 728/2 में आवागमन हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728/2 से खसरा नम्बर 729/2 में आवागमन निकटमत रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि *"ग्राम कालानाडा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 729/2 में से रिपोर्ट क्रमांक 3211 दिनांक 7.6.2024 के अनुसार 0.0544 है0 भूमि उक्त खसरे के पूर्वी भाग से अधिग्रहित की जाकर उक्त भूमि की तरमीम गै0मु0 रास्ता सिवायचक के रूप में करे तथा प्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 728/2 के उत्तरी भाग में से 0.0544 है0 रकबा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कर उसकी तरमीम करे।"*

चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ता कायमी के आदेश दिए गए है। अपीलांट द्वारा अपने अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर लगाए गए आरोप असत्य है। क्यों कि उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट तीन बार मंगवाई गई है व उक्त प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का भी अभाव है, इससे यही स्पष्ट होता है कि अपीलांट मात्र प्रकरण में अनावश्यक रूप से देरी करना चाहते है, जिससे वर्तमान रेस्पोडेंट के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांट को हर बार सूचित किया गया है व उनके द्वारा उठाई गए हर आपत्ति का निस्तारण किए जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/04/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner